(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2017/2585 विरूद्ध आदेश दि.28-6-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 750/अपील/2015-16

रामजीलाल कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व0श्री आर0पी0कुलश्रेष्ठ,
निवासी नयापुरा जीवाजीगंज रेल्वे स्टेशन के पास
ए0बी0रोड ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री पल्लव त्रिपाठी, अभिभाषक--आवेदक
श्री प्रखर ढेंगूला, अभिभाषक--अनावेदक शासन

** आ दे श **

(आज दिनांक 2/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-6-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पटवारी द्वारा दिनांक 4-5-2015 को प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बडागॉव के सर्वे नम्बर 841/मिन 1 रकबा 0.985 हेक्टेयर केदारसिंह, सर्वे नम्बर 841/2/1 रकबा 0.481 हेक्टेयर सीमा जैन, सर्वे नम्बर

841/2/2 रकबा 0.230 हेक्टैयर अनीता के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नजूल विभाग ग्वालियर से दिनांक 16-8-12 से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया तथा प्रश्नाधीन भूमि का अनुविभागीय अधिकारी मुरार द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/201-12/172(1) में पारित आदेश दिनांक 14-8-12 से डायवर्सन भी कर दिया गया है किन्तु आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर पक्की सड़क डालकर एवं बिजली के खम्बे लगाकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है जबकि आवेदक के पास कॉलोनाईजर लायसेंस तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिग का नक्शा नहीं है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित डायवर्सन आदेश दिनांक 14-8-12 की शर्त क्रमांक 2, 9 एवं 10 का उल्लंघन किया जाकर आवेदक द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी मुरार द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2014-15/172(5) के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 15-10-15 से प्रश्नाधीन भूमियों को यथास्वरूप लाये जाने का आदेश दिया गया तथा आवेदक पर 2,98,520/- रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित कियागया । इसके साथ साथ 1,000/- रूपये प्रतिदिन का अर्थदण्ड भी आवेदक पर आदेश के पालन होने तक लगाया गया । अनुविभागीय अधिकारी मुरार द्वारा पारित इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई तथा अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7-6-16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-6-17 को आदेश पारित अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नजूल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका विधिवत् आवासीय उपयोग डायवर्सन कराया जाकर विकास कार्य कराया गया है।

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 6-9-13 के द्वारा मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैद्य करने के लिये शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम तथा अन्य क्षेत्र में संबंधित जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है । शासन के उपरोक्त दिशा

निर्देश के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर व अपर आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही वैध एवं उचित नहीं है ।

(3) माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा रिट अपील में पारित आदेश दिनांक 21-1-13 से डायवर्सन आदेश समाप्त किये जाने के आदेश के उपरांत भी राजस्व अधिकारियों द्वारा डायवर्सन आदेश के तारतम्य में मांग पत्र दिनांक 31-3-17 भेजना एवं उक्त तारतम्य में अचल संपत्ति की कुर्की आदेश जारी कर आवेदक से डायवर्सन टैक्स की वसूली की गई, जो उचित नहीं है एवं उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आती है ।

(4) अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर डायवर्सन शुल्क के रूप में ली गई समस्त राशि आवेदक को मय ब्याज के वापिस दिलाये जाने के आदेश दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14-8-2012 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-4-2012 के पालन में आवेदकगण को शर्तों के अधीन डायवर्सन की अनुमति दी गई थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के संदर्भ में आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । आवेदकगण द्वारा डायवर्सन अनुमति की शर्त क्रमांक 2, 9 एवं 10 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण द्वारा धारित भूमि को यथा स्वरूप में लाये जाने एवं आवेदकगण पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधि संगत पाते हुए अपर कलेक्टर द्वारा स्थिर रखा गया है और अपर आयुक्त द्वारा भी विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखा गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के

समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार अमान्य किये जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-06-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर